संख्या-61/2024/999/छप्पन-2024-31/2016(CA)

प्रेषक,

अभिनव कुमार चौरसिया,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ: दिनांक: 06 अगस्त, 2024

विषय: नॉएडा इन्टरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर के लिए Independent Engineer (IE) द्वारा दी गई सेवाओं के भुगतान हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक- 93/ए0एफ0-2024-116/2016 दिनांक 05 जुलाई, 2024 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा नॉएडा इन्टरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर के विकास कार्यों हेतु अप्रैल, 2024 से दिसम्बर, 2024 तक की अवधि के लिए Independent Engineer की सेवाओं में निहित धनराशि रू0 2,42,12,567.50 में से NIAL में राज्य सरकार की अंशधारिता 37.50% के अनुसार धनराशि रू0 90,79,712.812 अर्थात् 90,79,713/- (रूपए नब्बे लाख उन्नासी हजार सात सौ तेरह मात्र) के भुगतान हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर के निवर्तन पर रखे जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- अवगत कराना है कि नॉएडा इन्टरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर के लिए Independent Engineer (IE) द्वारा दी गई सेवाओं के लिए जनवरी, 2022 से मार्च, 2024 (27 माह) की अवधि के लिए धनराशि रू0 5,78,63,932.50 में से NIAL में राज्य सरकार की अंशधारिता 37.50% के अनुसार रू0 2,16,98,975/- (रूपए दो करोड़ सोलह लाख अट्ठान्नबे हजार नौ सौ पचहत्तर मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष सम्पूर्ण धनराशि के व्यय की अनुमति सहित जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर के निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति शासनादेश संख्या-95/2023/1247/छप्पन-2023-31/2016(CA) दिनांक 13 सितम्बर, 2023 द्वारा प्रदान की गयी है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नॉएडा इन्टरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर के विकास कार्यों हेतु अप्रैल, 2024 से दिसम्बर, 2024 तक की अवधि के लिए Independent Engineer की सेवाओं में निहित धनराशि रू0 2,42,12,567.50 में से NIAL में राज्य सरकार की अंशधारिता 37.50% के अनुसार धनराशि रू0 90,79,712.812 अर्थात् 90,79,713/- (रूपए नब्बे लाख उन्यासी हजार सात सौ तेरह मात्र) वर्तमान चालू वित्तीय वर्ष 2024-2025 में व्यय की अनुमति सहित जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करती हैं:-

(1) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा प्रस्तावित धनराशि को आहरित कर किसी बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा। अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(2) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य कराया जाएगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी निदेशक, नागरिक उड्डयन की होगी।

(3) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृति नहीं की गई है।

(4) बजट प्रावधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, नागरिक उड्डयन का होगा।

(5) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जाएगा।

(6) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।

(7) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 04 मार्च, 2024 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(8) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि नॉएडा इन्टरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर के विकास कार्यों हेतु अप्रैल, 2024 से दिसम्बर, 2024 तक की अवधि के लिए Independent Engineer की सेवाओं में निहित धनराशि रू0 2,42,12,567.50 में से NIAL के शेष अंशधारकों यथा- नॉएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण/ग्रेटर नॉएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण/यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा भी अपनी-अपनी अंशधारिता के अनुसार धनराशि जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर/NIAL के बैंक खाते में यथाशीघ्र उपलब्ध कराई जाएगी।

4- उक्तानुसार स्वीकृत की जाने वाली धनराशि रू0 90,79,713/- (रूपए नब्बे लाख उन्यासी हजार सात सौ तेरह मात्र) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा तत्काल आवंटित कर जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर के निर्वतन पर रखी जाएगी। जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर द्वारा प्रश्नगत धनराशि NIAL के निम्नलिखित बैंक खाते में उपलब्ध कराई जाएगी तथा इसका प्रमाण शासन को उपलब्ध कराया जाएगा:-

Name of Beneficiary: Noida International Airport Limited

Name of the Bank: State Bank of India

Bank branch address: Greater Noida, Lager Stroemia Shopping Centre, Gautam Buddha Nagar, UP

Account Number: 38491000655

IFSC Code: SBIN0004324

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

5- उक्त धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-38 के पूंजी लेखा लेखाशीर्ष ''5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय-02-विमानपत्तन-800-अन्य व्यय-21-जनपद गौतमबुद्धनगर के जेवर में अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की स्थापना-24-वृहत् निर्माण कार्य'' से वहन की जाएगी।

6- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या: E-7-66-X-2024-25- दिनांक 02 अगस्त, 2024 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किए जा रहे हैं।

भवदीय,
अभिनव कुमार चौरसिया
अनु सचिव

संख्या-61/2024/999(1)/छप्पन-2024 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।

2- उप महालेखाकार/ई0एस0-।।।, आडिट भवन, टीसी-35-वी-1, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-10

3- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नॉएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण/ग्रेटर नॉएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण/यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गौतमबुद्धनगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे सन्दर्भगत प्रकरण में अनुमोदित धनराशि रू0 2,42,12,567.50 में से NIAL में अपनी-अपनी अंशधारिता के अनुसार धनराशि जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर/NIAL के बैंक खाते में यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

4- जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर।

5- कलैक्टर/अपर जिलाधिकारी(भू0अ0), गौतमबुद्धनगर।

6- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/कोषाधिकारी, गौतमबुद्धनगर।

7- विशेष कार्याधिकारी (श्री शैलेन्द्र कुमार भाटिया), नॉएडा इन्टरनेशनल एयरपोर्ट लि0/नोडल अधिकारी, जेवर एयरपोर्ट, गौतमबुद्धनगर।

8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7.

9- समीक्षा अधिकारी (बजट)/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अभिनव कुमार चौरसिया
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।